न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 351/2023

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. कर्णसिंह पुत्र कुशालसिंह 2. गेमरसिंह पुत्र नखतसिंह 3. गुमानसिंह पुत्र नखतसिंह 4. भूरसिंह पुत्र नखतसिंह 5. सुमेरसिंह पुत्र नखतसिंह (सभी जाति राजपूत, निवासी ग्राम छायण, तहसील पोकरण, जैसलमेर)		1. सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलौदी 2. उप तहसीलदार शेखासर, तहसील बाप, जिला फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी बाप आदेश कमांकः कोर्ट/2020/108 दिनांक 01.01.2020

उपस्थित–
1. श्री नाहरसिंह सोलंकी वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा DILRMP योजनान्तर्गत खसरा एकीकरण के प्रस्ताव में अंतर्गत धारा 136 व 131 आरएलआर, एक्ट में पारित आदेश कमांक 108 दिनांक 01.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी व नक्शे में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान में, एकीकरण प्रस्ताव से संबंधित भूमि में हुए परिवर्तन के दस्तावेज प्रयास करने के बावजूद उपलब्ध नही होने से खातों का एकीकरण प्रस्तावित किया गया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा सहमति दी गई। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम बारू के खसरा नं0 1204 का गलत रिपोर्ट के आधार पर एकीकरण किया गया है। जबकि उक्त खसरान में से अपीलांट्स का खसरा नं0 1204/3 पूर्व में ही अलग हो चुका था एवं अलग नक्शें में तरमीम की जा चुकी थी तथा लगान भी अलग–अलग कायम किया जा चुका था। अपीलांट्स खसरा नं0 1204/3 में काबिज काश्त है तथा इसमें सपरिवार निवास एवं कृषि कार्य करता आ रहा है, जिसकी तारबंदी भी की हुई है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उसकी सहमति ली गई। इसके अलावा अपीलांट सं0 2 से 5 के पिता नखतसिंह का देहांत हो जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो विधि विरूद्ध होने से अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स के हद तक निरस्त फरमाने तथा अपीलांट्स के खसरा नं0 1204/3 को पूर्व की स्थिति में बहाल कर, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में फार्म नं0 3 के संलग्न उल्लेखित दस्तावेजों यथा जमाबंदी खसरा नं0 1204/3 रकबा 67.16 बीघा, नक्शा लट्ठा ट्रेस व गिरदावरी की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि राज्य सरकार की महत्वांकांक्षी DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी व नक्शे में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान में, एकीकरण प्रस्ताव से संबंधित भूमि में हुए परिवर्तन के दस्तावेज प्रयास करने के बावजूद उपलब्ध नही होने से खातों का एकीकरण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही होने के कारण तहसीलदार बाप द्वारा उक्त प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को अंतर्गत धारा 136 व 131 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तावित किया गया, जिस पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा सहमति दी गई है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में वकील अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2066–69 व 2070–73 तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2063–66, 2066–69, 2070–73 व 2075–78, के अनुसार ग्राम बारू के खसरा नं0 1204/3 रकबा 67.16 की भूमि काश्तकार/खातेदार नखसिंह एवं कर्णसिंह पि0 कुशालसिंह के नाम दर्ज है व लट्ठा ट्रेस की छायाप्रति के अनुसार उक्त खसरान की तरमीम की हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम बारू के खसरा नं0 1204 का एकीकरण किया गया है, जबकि उक्त खसरान में से अपीलांट्स का खसरा नं0 1204/3 पूर्व में ही अलग हो चुका था तथा इसकी अलग नक्शें में तरमीम की जा चुकी थी, मानने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः कोर्ट/2020/108 दिनांक 01.01.2020 अपीलांट्स के खसरा नं0 1204/3 की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं संबंधित खातेदारान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, बाद जांच राजस्व रेकर्ड/प्रकट तथ्यों के दृष्टिगत विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08 **मई, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

08/05/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर